सिडबी

स्वावलंबन

बेचैन सपनों को पंख...

स्वावलंबन सूचना श्रृंखला

खंड–3

कदम दर कदम बढ़ें आगे - एमएसएमई के लाभ के लिए योजनाएं और पहल

प्रस्तावना

प्रिय स्वावलंबी,

सिडबी की ओर से स्वावलंबनपूर्ण अभिवादन!

विज़न 2.0 को अपनाने के साथ, सिडबी ने संपर्क (कनेक्ट), संवाद (इंटरैक्शन), सुरक्षा (सिक्योरिटी) और संप्रेषण (डिसेमिनेट) की थीम के साथ संवर्धन और विकास पर अपना ध्यान पुनः केंद्रित किया है। विज़न 2.0 का ध्येय, नवोन्मेषिता और व्यापक प्रभाव वाला वह कार्यक्रम बनना है जो एमएसई की 'स्थापना' और उसका 'उत्तरोत्तर विकास' दोनों में उसे लाभान्वित करे। इससे अधिक रोजगार पैदा होंगे और समग्र रूप से देश में आर्थिक विकास होगा। बैंक ने उद्यमिता संस्कृति के प्रसार हेतु और युवाओं को 'नौकरी चाहने वाले' से 'नौकरी देने वाले' बनाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में हो रहे पलायन को रोकने और पिरामिड के सबसे निचले तबके, असेवित/ अल्पसेवित वर्गों/ क्षेत्रों एवं समग्र एमएसई में स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के निए वर्ष 2018 में मिशन स्वावलंबन आरंभ किया।

स्वावलंबन सूचना श्रृखला, वर्तमान और संभावनाशील स्वावलंबियों से जुड़ने और उन्हें एक उद्यमशील उद्यमी के रूप में स्थापित करने के उनके सपने को 'साकार करने' की यात्रा में उनकी सहायता करने का एक प्रयास है। यह उद्यमशीलता के बुनियादी और उन्नत ज्ञान को आपकी चौखट पर लाता है और साथ ही आपको नवीनतम घटनाओं / योजनाओं / पहलों के साथ अद्यतन रखता है जिसका उपयोग आप अपने तथा दूसरों के लाभ के लिए कर सकते हैं।

हम पाठक की प्रतिक्रिया से परिष्कृत होते रहते हैं। कृपया अपनी प्रतिक्रियाएँ / प्रश्न / सुझाव हमें भेजें ताकि हम हर संस्करण में निरंतर सुधार ला सकें। हमें आशा है कि आप श्रृंखला को पढ़ने में उतना ही आनंद लेंगे, जितना हम इसे तैयार करने में लेते हैं।

तो आनंदपूर्वक पढ़ें।

टीम स्वावलंबन, सिडबी
ईमेल आईडी : pnd_ndo@sidbi.com

हमारे पिछले संस्करणों में...

आपने हमारे पिछले संस्करण देखे होंगे जिसमें हमने स्वावलंबी क्या है, क्यों बने और कैसे बने – इन विषय पर चर्चा की थी। हमारे दूसरे संस्करण में हमने महिला उद्यमियों पर चर्चा की थी। इन संस्करणों को देखने के लिए कृपया अवलोकन करें
https://www.sidbi.in/en/publication-and-reports
या https://udyamimitra.in/home/downloads

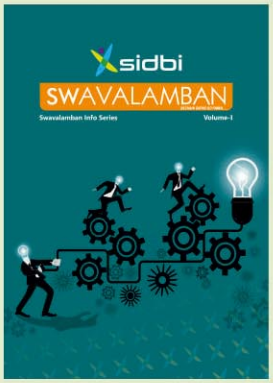

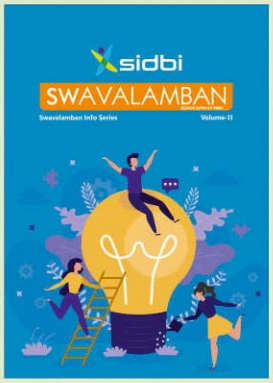

संस्थागत सहयोग की आवश्यकता –

किसी भी उद्यमी को सफलता एवं उत्कृष्टता के लिए अपने मित्रों एवं परिवार से ही नहीं अपितु साथ ही पारितंत्र से भी सहयोग की जरूरत होती तथा इसके चलते देश के विकास के लिए यह आवश्यक है कि इस संबंध में एक प्रोत्साहनपरक तथा सहायक क्रियाविधि उपलब्ध हो। इसके समाधान के लिए सरकार ने अन्य संस्थानों के साथ मिलकर ऐसी नीतियां एवं योजनाएं तैयार की हैं जो उद्यमियों की क्षमता को सहारा देती हैं तथा उनकी विकास यात्रा में उनकी सहायता करती हैं। किसी भी प्रतिष्ठित अथवा उभरते हुए उद्यम के लिए यह अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे इन योजनाओं के संपर्क में रहें तथा सरकार एवं विकासपरक संस्थाओं द्वारा उनके लाभ के लिए उठाए गए नवीनतम कदमों से अवगत रहें।

एमएसएमई के लिए योजनाएं एवं पहल

स्वावलंबन सूचना श्रृंखला के इस तीसरे संस्करण में हमारा प्रयास आप तक देश में उद्यमिता की संवृद्धि एवं विकास के लिए सरकार तथा अन्य संस्थाओं जिसमें सिडबी भी शामिल है, द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, पहलों एवं मंचों के बारे में आपको एक जानकारी देना है। इस संस्करण में सम्मिलित किए गए प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं

- गवर्नमेंट ई–मोर्केटप्लेस (जेम)
- नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई)
- सिडबी की योजनाएँ एवं पहल
- 59 मिन्टस में पीएसबी लोन
- प्रयास

गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस (जेम)

कई बार उद्यमियों को बाजार में अपने उत्पाद बेचने में समस्याएं आती हैं। इसलिए एक ऐसा समर्पित बाजार, जो पारदर्शी हो , सुगम व प्रभावी हो, वह उद्यमी की सफलता की प्रभावी कुंजी है। एक समुचित क्रियाप्रणाली के अभाव में उद्यमी को विलंबित भुगतान, गैर जवाबदेही, लाभ में कमी आदि जैसी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

किसी उद्यमी के सामने आने वाली इन समस्याओं के लिए जेम एक समाधान है। यह सरकारी विभागों /संगठनों / सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए संपूर्ण समाधान है। यह एक पारदर्शी और त्वरित तरीका है जो खुले और तकनीकचालित मंच पर एमएसएमई, स्टार्टअप, कारीगरों आदि द्वारा वस्तुएं बेचने की सुविधा देता है।

उद्यमियों (विक्रेताओं) के लिए जेम के लाभः

- सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों तक सीधी पहुंच
- भारत में कहीं भी बिक्री
- आपकी श्रेणी में बोली भागीदारी के लिए स्वचालित सूचनाएं
- निरंतर खरीद प्रक्रियाएं
- तीव्रता से भुगतान
- बेहतरीन पारदर्शिता और बिक्री में सुगमता

उद्यमियों (खरीदारों) के लिए जेम के लाभ :

- उत्पादों / सेवाओं का सूची में उच्च स्थान
- एकाधिक आपूर्तिकर्ताओं से मूल्य रुझान और मूल्य तुलना
- एकाधिक खरीद विधि – प्रत्यक्ष खरीद / बोली / आरए
- एकीकृत भुगतान प्रणाली
- ऑनलाइन ऑर्डर देना और अनुबंधों का सृजन
- बेहतरीन पारदर्शिता और क्रय की गति

सिडबी ने एमएसएमई उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमियों और सरकारी योजनाओं के अन्य लाभार्थियों को इस मंच पर अपने उत्पाद बेचने की सुविधा देने के लिए जेम के साथ भागीदारी की है। विचार, जेम पूल खाते को ऑटो–डेबिट करके विक्रेताओं को गारंटीकृत समय सीमा में भुगतान करने का और बिल भुनाई का विकल्प देकर कार्यशील पूंजी प्रदान करना है। यह उद्यमियों को कार्यशील पूंजी की सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ देरी व गैरजवाबदेही की समस्याओं को हल करता है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) :

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) :

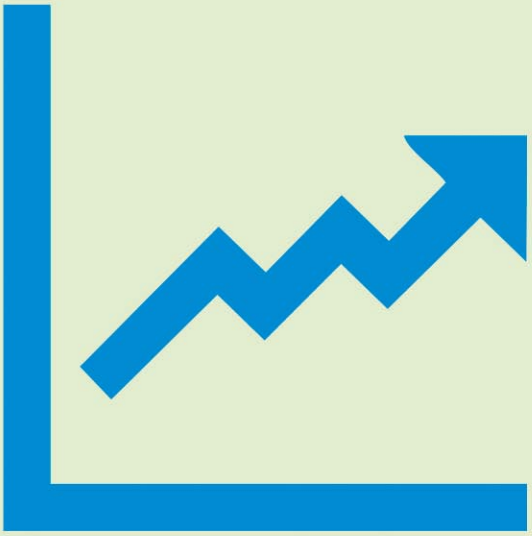

जब हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सोचते हैं, तो हम आमतौर पर बहुत सारे अनुपालन और लागतों के बारे में सोचते हैं। इसके साथ सामान्य धारणा यह है कि एक्सचेंज लिस्टिंग केवल बड़े व्यवसाय करने वाली बड़ी कंपनियों के लिए होती है। लेकिन यह बात सच नहीं है। बड़ी कंपनियों की तरह ही छोटे उद्यमी भी स्वयं को सूचीबद्ध कर सकते हैं और इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं –

क) **सम्मान में बढ़त** : एक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से आमतौर पर उस कंपनी के लिए जनता की आँखों में सम्मान के साथ–साथ आत्मविश्वास बढ़ता है।

ख) **ग्राहक आधार में वृद्धि** : गैर–सूचीबद्ध कंपनियों की तुलना में अधिक ध्यान खींचने योग्य होने के नाते, लिस्टिंग से कंपनी को और अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद मिलती है।

ग) **आसान पूंजी पहुंच** : हितधारकों को अधिक शेयर जारी करके यह उद्यमियों को नई परियोजनाओं / विस्तार इत्यादि के निधीयन का अवसर प्रदान करता है,

घ) **उच्च संपार्श्विक मूल्य** : सूचीबद्ध प्रतिभूतियां ऋण सुविधाओं के लिए संपार्श्विक के रूप में स्वीकार्य हैं। एक सूचीबद्ध कंपनी वित्तीय संस्थानों से भी आसानी से उधार ले सकती है क्योंकि इसे पूंजी के उधारदाताओं द्वारा अनुकूल रूप से आंका जाता है; कंपनी अधिक भरोसे के साथ नए निर्गम बाजार के माध्यम से, जनता से, अतिरिक्त धनराशि जुटा सकती है।

एनएसई ईमर्ज

एक्सचेंज का एसएमई मंच उच्च विकास संभावना वाली छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए है। एक्सचेंज का एसएमई प्लेटफॉर्म उन एसएमई के लिए खुला रहेगा, जिनकी चुकता पूंजी 25 करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर होगी। प्लेटफॉर्म से यह आशा है कि वह उन जानकार निवेशकों जिनकी दीर्घावधि तक निवेश करने की दृष्टि है, को एक नए और वैकल्पिक परिसंपत्ति वर्ग की पेशकश करेगा। एनएसई इमर्ज एसएमई आईपीओ के लिए एक नया स्रोत है और मुख्य बोर्ड की तुलना में एसएमई को न्यूनतम अनुपालन और लागत के साथ सूचीबद्ध होने का अवसर प्रदान करता है। यह मंच नए, शुरुआती चरण के उपक्रमों और गुणवत्तापरक छोटी कंपनियों को उनके विकसित व परिपक्व होने तथा एक्सचेंज के मुख्य बोर्ड में पारगमन के दौरान अत्यावश्यक विकास पूंजी जुटाने का प्रबंध करेगा।

59 मिनट में पीएसबी लोन

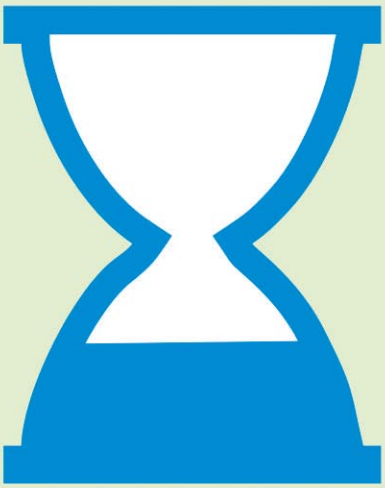

वे दिन गए, जब कर्ज लेने वाले को अपना ऋण स्वीकृत कराने के लिए कई महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। नवीनतम तकनीकों के साथ विकसित, 'ऑनलाइन पीएसबी ऋण' एक ऑनलाइन क्रेडिट बाजार है, जहाँ आप 59 मिनट के भीतर न केवल अपने ऋण के लिए एक सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि बैंकों के प्रस्तावों की तुलना करके अपनी पसंद के बैंक का चयन भी कर सकते हैं।

प्लेटफॉर्म रु.1 लाख से रु.05 करोड़ तक की राशि के लिए व्यवसाय ऋण (सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण) के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करता है। वर्तमान में रु.15 लाख तक के मूल्य के लिए व्यक्तिगत ऋण, रु.10 करोड़ रुपये तक के मूल्य के लिए गृह ऋण तथा रु. 1 करोड़ तक के मूल्य के लिए ऑटो ऋण का सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है। उपयोगकर्ता के अनुकूल यह पोर्टल ऋणी को संपर्क रहित सुविधा प्रदान करता है, जहां एक उधारकर्ता को सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए बैंक की शाखा का दौरा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। प्लेटफॉर्म विभिन्न स्रोतों जैसे आयकर विवरणी, जीएसटी डेटा, बैंक विवरणी आदि से लिए गए आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए उन्नत सिद्धांतों का उपयोग करता है।

प्रक्रिया प्रवाह का संक्षिप्त विवरण: –

व्यवसाय ऋण के लिए आवेदन करने के आसान चरणः

क) https://www.psbloansin59minutes.com/signup पर जाएं

ख) नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें

ग) पंजीकरण के बाद, उधारकर्ता निधि की आवश्यकता का चयन कर सकते हैं अर्थात् व्यावसायिक उद्देश्य के लिए या खुदरा के लिए।

घ) 'व्यवसाय ऋण' का चयन करें।

च) निधि की आवश्यकता के चयन के बाद, 59 मिनट में व्यवसाय ऋण का सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक विवरण दें।

ब्याज अनुदान योजना

ऋण तक पहुंच में सुधार के हिस्से के रूप में, यह योजना नए अथवा वृद्धिशील ऋणों पर सभी जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई हेतु, वृद्धिशील ऋण के लिए 2% ब्याज अनुदान देती है। योजना का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने के लिए विनिर्माण और सेवा उद्यमों, दोनों को प्रोत्साहित करना और एमएसएमई को जीएसटी मंच पर लाने के लिए प्रोत्साहन देना है जो ऋण की लागत को कम करते हुए अर्थव्यवस्था को आकार देने में सहायता करेगा।

2 नवंबर 2018 को अथवा उसके बाद दिया गया वृद्धिशील सावधि ऋण या नया सावधि ऋण अथवा वृद्धिशील कार्यशील पूंजी या नयी कार्यशील पूंजी, इस योजना के तहत शामिल किए जाने के पात्र होंगे। संक्षिप्त पात्रता दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

क) योजना की अवधि के दौरान संवितरित रु 100 लाख की सीमा तक के समस्त नए कार्यशील पूंजी या सावधि ऋण।

ख) सावधि ऋण अथवा कार्यशील पूंजी जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकृत तथा जमा न लेने वाली व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदत्त सावधि ऋण अथवा कार्यशील पूंजी।

ग) वाणिज्य विभाग के तहत लदान पूर्व अथवा लदान पश्चात के क्रेडिट के लिए ब्याज अनुदान का लाभ ले रहे एमएसएमई निर्यातक इसके लिए पात्र नहीं होंगे।

घ) एमएसएमई जो राज्य / केंद्र सरकार की किसी भी योजना के तहत पहले से ही ब्याज अनुदान का लाभ उठा रहे हैं, वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे।

च) यह दावा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केवल 21 और 22 फरवरी, 2019 को जारी परिपत्र में दी गयी योजना दिशानिर्देश अधिसूचना के अनुसार पात्र संस्थानों के माध्यम से केवल छमाही आधार पर किया जाएगा।

च) दावा करने की तिथि पर ऋण खाते मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए घोषित न किए गए हों। जिस अवधि में खाता एनपीए रहता है, उस अवधि के लिए कोई ब्याज अनुदान स्वीकार्य नहीं होगा।

प्रयास

सिडबी ने प्रयास योजना ऐसे अल्प वित्त ग्राहकों की मदद करने के लिए आरंभ की है, जो अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने / विविधता लाने की इच्छा रखते हैं, किंतु वे सस्ती दर पर वित्त प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य पिरामिड के निचले भाग के अल्प उधारकर्ताओं को अल्प वित्त संस्थाओं, एनबीएफसी, बैंकिंग कोरेसपोंडेंट (बीसी), फिनटेक, आदि के साथ साझेदारी व्यवस्था के तहत प्रतिस्पर्धी दर पर ऋण उपलब्ध कराना है।

क) **ऋण सहायता का उद्देश्य** : सूक्ष्म उद्यमियों को किसी जीविकोपार्जन गतिविधि चलाने के लिए पूंजीगत आस्तियों का अधिग्रहण करने और / या कार्यशील पूंजी या विपणन संबंधी आवश्यकताओं या उपरोक्त में से किन्हीं दो के लिए आवश्यकता आधारित ऋण उपलब्ध कराना है।

ख) **पात्र उधारकर्ता** : उधारकर्ता / ग्राहक किसी मौजूदा स्व सहायता समूह (एसएचजी) / संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) का सदस्य हो और उसने साझेदार संस्थान (पीआई) से संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड के साथ 2–3 बार ऋण प्राप्त किया हो। ऐसे उधारकर्ताओं, जो स्व सहायता समूह / संयुक्त देयता समूह के सदस्य नहीं हैं, के लिए व्यक्तिगत ऋण देने पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि साझेदार संस्थान (पीआई) को उपेक्षित मध्य वर्ग को उधार देने का पूर्व अनुभव रहा हो और वह जोखिम कम करने के पर्याप्त उपाय कर सकता हो।

ग) **ऋण की राशि** : रु 0.50 लाख से रु 5.00 लाख तक उपेक्षित मध्य वर्ग।

सिडबी की योजनाएं और पहलें :

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन, विकास और वित्त के लिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्था है। चूंकि वित्त किसी भी उद्यमी के विकास के लिए प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है, अतः सिडबी अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एमएसएमई को सस्ती दरों पर सुलभ और समस्या–मुक्त वित्त प्रदान करने का प्रयास करता है :

क) **स्माइल** : सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड (स्माइल) योजना विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के वित्तपोषण के लिए है और इसके अंतर्गत एमएसएमई के साथ जुड़े नए और छोटे उद्यमों पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण आदि करने वाले मौजूदा उद्यम भी शामिल किये जा सकते हैं:

प्रमुख विशेषताएं :

क) प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें।

ख) सुलभ ऋण के माध्यम से आंशिक प्रवर्तक अंशदान का निधीयन।

ग) दीर्घकालीन चुकौती अवधि।

घ) त्वरित संवितरण

ख) **स्माइल उपकरण वित्त (एसईएफ)** : स्माइल उपकरण वित्त(एसईएफ) मशीनरी वित्तपोषण के इच्छुक उद्यमियों के लिए एक त्वरित ऋण समाधान है। ऐसी एमएसएमई इकाइयाँ जो पिछले कम से कम 3 वर्षों से अस्तित्व में हैं और जिनकी वित्तीय स्थिति संतोषजनक है, वे अपने संयंत्र एवं मशीनरी / विधि स्थिर आस्तियां (एमएफए) / आवश्यकता आधारित सिविल निर्माण, यदि कोई हो, में अपने निवेश के वित्तपोषण के लिए स्माइल उपकरण वित्त(एसईएफ) के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं। ऋण की राशि न्यूनतम राशि 10.00 लाख रुपये है और इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित है। इस योजना के

अंतर्गत सरलीकृत आवेदन–पत्र और न्यूनतम औपचारिकताओं के साथ ऋण का त्वरित और समस्या–मुक्त वितरण सुनिश्चित किया जाता है।

ग) **स्पीड :** उद्यमिता विकास के लिए उपकरणों की खरीद हेतु ऋण स्पीड योजना के अंतर्गत मशीनरी लागत के 100% तक का ऋण प्रदान किया जाता है, किंतु यह बैंक के नए ग्राहकों (एनटीबी) के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपये और सिडबी के मौजूदा ग्राहकों के लिए 2 करोड़ रुपये तक होता है। एक पृष्ठ के आवेदन फॉर्म और समयबद्ध वितरण और संवितरण की यह योजना सही अर्थों में अपने नाम को सार्थक करती है। इस योजना के अंतर्गत ऐसी एमएसएमई इकाइयां आकर्षक ब्याज दरों पर ऋण उत्पाद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जो न्यूनतम 3 वर्षों से स्थिर बिक्री के साथ परिचालनरत हैं और पिछले 2 वर्षों में जिन्होंने नकद लाभ अर्जित किया हो।

प्रमुख विशेषताएं:

क) संपर्क रहित प्लेटफॉर्म के माध्यम से मशीनरी ऋण का त्वरित वितरण।

ख) सरलीकृत आवेदन प्रारुप।

ग) प्रतिस्पर्धी ब्याज दर।

घ) कम प्रर्वतक अंशदान

घ) **उद्यम विकास के लिए उपकरणों की खरीद हेतु सिडबी ऋण (स्पीड प्लस) :** स्पीड योजना के अंतर्गत वितरण को गति देने और उसे और आगे बढ़ाने के लिए, स्पीड प्लस योजना आरंभ हुई। इस योजना के अंतर्गत ऐसी एमएसएमई इकाइयां ऋण के लिए आवेदन करने की पात्र हैं, जो न्यूनतम 5 वर्षों से स्थिर बिक्री के साथ परिचालनरत हैं और पिछले 3 वर्षों के दौरान जिन्होंने नकद लाभ कमाया हो तथा पिछले पाँच वर्षो में जिनकी न्यूनतम शुद्ध बिक्री 5 करोड़ रुपये रही हो और पिछले दो वर्षों में उन्हें कोई परिचालन हानि न हुई हो। स्पीड प्लस के अंतर्गत वित्तपोषित की जाने वाली मशीनरियां वे मशीनरियां होती हैं, जो उच्च तकनीकी की मशीनों का विनिर्माण करने वाली चिह्नित ओईएम से या ऐसे विदेशी ओईएम के अधिकृत डीलर / भारतीय सहायक से खरीदी गई हों, जिनकी सशक्त ब्रांड प्रतिष्ठा है और जिनके साथ सिडबी ने एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है।

प्रमुख विशेषताएं:

क) उच्च तकनीक की मशीनरियों के लिए 100% तक वित्तपोषण

ख) त्वरित मंजूरी एवं संवितरण

ग) संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में अचल संपत्ति आवश्यक नहीं

च) रूफटॉप सोलर पीवी प्लान्ट्स (स्टार) के लिए सिडबी सावधि–ऋण सहायता : यह स्टार योजना निम्नलिखित के लिए आरंभ की गई है:

क) एमएसएमई को अपने बिजली बिल कम करने के लिए मदद करना।

ख) 25 किलोवाट से 500 किलोवाट संयत्रों (सांकेतिक) के लिए पूरे क्षेत्र में।

ग) ऋण की राशि: रु10 लाख से रु 250 लाख तक।

मिशन स्वावलंबन

बैंक ने 2018 में मिशन स्वावलंबन आरंभ किया है, जिसका उद्देश्य उद्यमिता संस्कृति का प्रसार करना और युवाओं को ''नौकरी चाहने वालों'' से ''नौकरी देने वाले'' बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास को प्रतिबंधित करना और पिरामिड के निचले भाग पर बल देते हुए असेवित/अल्पसेवित खंडों/क्षेत्रों तथा समग्रतः सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में स्थायी जीविकोपार्जन के अवसरों को बढ़ावा देना है। लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाने और लोगों के दिलों–दिमाग में स्वावलंबन की भावना जाग्रत करने के लिए बैंक ने स्वावलंबन मिशन के सर्वसमावेशी कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक पहल की हैं। इनमें से कुछेक निम्नलिखित हैं:

उषा स्वावलंबन सिलाई स्कूल (गाँवों में महिला होमप्रेन्योर को बढ़ावा देना):

स्वावलंबन के अंतर्गत, सिडबी का बल देश के अब तक अनछुए क्षेत्रों तक पहुंचना है। विश्व ने यह माना है कि किसी भी समाज के विकास के लिए, उसकी महिलाओं का विकास गैर–परक्राम्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सिडबी ने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उषा इंटरनेशनल लिमिटेड (यूआईएल) के साथ मिलकर 5 राज्योंः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और तेलंगाना के 10 जिलों के 1000 गांवों में 1000 महिलाओं के लिए 1000 उषा स्वावलंबन सिलाई स्कूल स्थापित किए हैं।

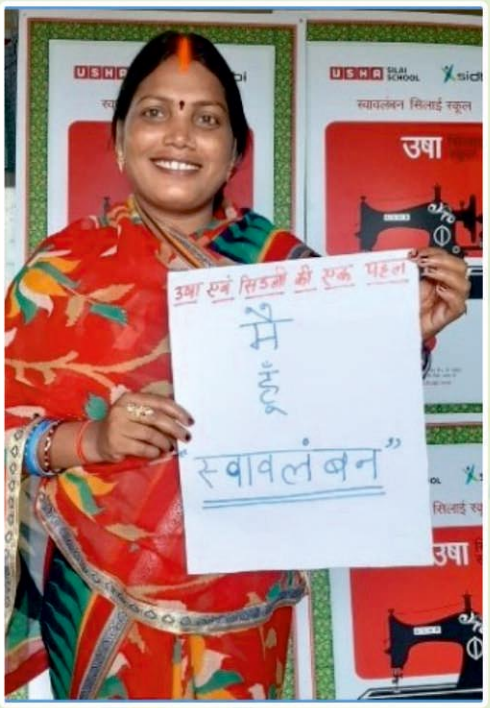

सिलाई स्कूल कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य सिलाई तथा सिलाई कौशल प्रदान करके और गाँव की महिलाओं को अपने जीविकोपार्जन उद्यम स्थापित करने के लिए सक्षम बनाकर होमप्रेन्योर का एक कैडर तैयार करना है। इस कार्यक्रम का दूसरा उद्देश्य आर्थिक सक्षमता के माध्यम से इन महिलाओं के परिवारों के भीतर एक सामाजिक प्रतिष्ठा और पहचान पैदा करना है। समग्रतः यह कार्यक्रम परिवार में उद्यमिता संस्कृति को प्रवृत करने का प्रयास करता है।

इस पहल के तहत, यूआईएल के अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा इच्छुक महिलाओं को सिलाई के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ–साथ सिलाई मशीन के रख–रखाव और मरम्मत का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाली महिला उद्यमी को उषा सिलाई मशीन (लेग पैडल चालित), एक प्रमाणपत्र, एक प्रशिक्षण–किट और एक उषा स्वावलंबन सिलाई स्कूल का साइनेज बोर्ड प्रदान किया जाता है। इसके बदले में ये प्रशिक्षित महिलाएँ अन्य समुदाय की महिलाओं को उसी या पड़ोसी गाँव में अपने सिलाई स्कूल स्थापित करना सिखाएंगी, जिन्हें 'सैटेलाइट सिलाई स्कूल' के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार, प्रत्येक उषा स्वावलंबन सिलाई स्कूल से न्यूनतम दो महिलाओं के अपने स्वयं के सिलाई स्कूल खुलवाकर एक 'गुणक प्रभाव' पैदा किया जा रहा है।

स्वावलंबन रोल मॉडल:

पिरामिड के निचले हिस्से के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, हमारे प्रतिदिन के नायकों की आकांक्षाओं को पंख देने के लिए वित्त वर्ष 2019 में सिडबी स्वावलंबन रोल मॉडल स्थापित करने की एक प्रायोगिक पहल की गई। गत वित्त वर्ष, सिडबी ने ग्राम–बनवारी टोला, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश की ज्योति (18 वर्ष) और नेहा (16 वर्ष) के जीवन को संवारा, जिन्होंने लकवा से पीड़ित अपने पिता के नाई के पेशे को अपनाया और वे समाज के लिए एक रोल मॉडल बन गई। अब, ये लड़कियां इतनी विख्यात हो गई हैं कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने उनसे दाड़ी बनवाई। जिलेट ने अपनी विज्ञापन फिल्म के लिए इन लड़कियों से संपर्क किया और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया। बैंक देश भर में 1000 से भी अधिक उन स्वावलंबन रोल मॉडलों को सहायता देने के लिए प्रयासरत है, जो मौजूदा स्वावलंबी असेवित/चुनौतीपूर्ण वर्गों से हैं (लेकिन फिर भी अपने उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं) जिन्हें मुख्यधारा में शामिल होने और उचित समय पर ऋण सक्षम बनकर उभरने के लिए सहयोग की आवश्यकता है।

आईआईएम - लखनऊ में युवा मौजूदा एमएसई उद्यमियों हेतु प्रबंधन क्षमता विकास कार्यक्रम (एमडीपी)

एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए एमएसई हितधारकों की दीर्घकालिक लंबित मांग को पूरा करने के लिए हमारे बैंक ने आईआईएम लखनऊ के साथ भागीदारी करते हुए मौजूदा एमएसई उद्यमियों के लिए 11 दिन के कक्षा अल्पावधि प्रबन्धन विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसमें एमएसई क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ–साथ केवल अकादमिक ज्ञान के बजाय समस्या निवारण तकनीकों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। आरम्भ से ही, पाठ्यक्रम को ''एमएसई के लिए एमएसई के द्वारा'' के रूप में डिज़ाइन किया गया है।

उद्यम संज्ञान - एमएसई के लिए एक्सपोजर दौरा:

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को अपने क्षेत्र में मध्यम और बड़े पैमाने की इकाइयों के कार्य परिवेश को समझने में उनकी सहायता हेतु उद्यम संज्ञान की शुरुआत की गई है, जो उन्हें अपने उद्यमों को शुरू करने और आगे बढ़ाने में प्रेरित करेगा। उद्यम संज्ञान के अन्तर्गत, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु बड़े उद्योगों के एक्सपोजर दौरों का आयोजन किया जाता है। इस एक्सपोजर का उद्देश्य उनके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करना, बड़ा सोचने और क्रॉस लर्निंग के माध्यम से संपर्क सूत्र विकसित करने में सहायता प्रदान करना है।

स्टैंड अप इंडिया

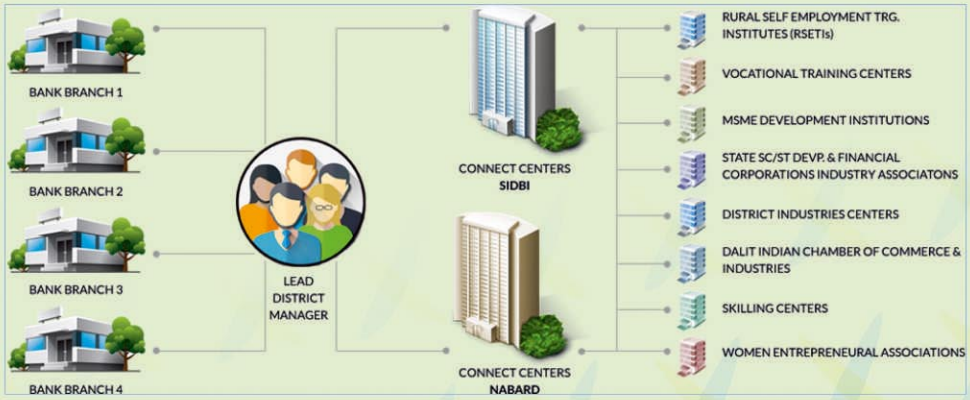

इस योजना का उद्देश्य प्रति बैंक शाखा नए उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक अनुसूचित जाति (अनुजाति) या अनुसूचित जनजाति (अनुजनजाति) उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है। यह उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापारिक क्षेत्र में हो सकता है। एकल स्वामित्व से इतर उद्यमों के मामले में कम से कम 51: हिस्सेदारी और नियंत्रण हिस्सेदारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए। यह योजना उद्यम स्थापित करने, ऋण प्राप्त करने और समय–समय पर व्यवसाय में सफलता हेतु अन्य सहायता प्राप्त करने में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों की पहचान पर आधारित है। इस प्रकार यह योजना एक पारितंत्र बनाने का प्रयास करती है, जिससे व्यवसाय करना सुकर हो तथा निरन्तर एक समर्थनकारी परिवेश उपलब्ध हो सके।

पात्रता

क) 18 वर्ष से अधिक आयु के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी

ख) इस योजना के अन्तर्गत ऋण केवल नवोदित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। इस संदर्भ में नवोदित परियोजना से आशय विनिर्माण या सेवा या व्यापार क्षेत्र में लाभार्थी के प्रथम उद्यम से है।

ग) एकल स्वामित्व से इतर उद्यमों के मामले में 51% की हिस्सेदारी और नियंत्रण हिस्सेदारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।

घ) उधारकर्ता ने किसी भी बैंक / वित्तीय संस्था के प्रति ऋण भुगतान में डीफॉल्ट ना किया हो।

एमएसई को परामर्श द्वारा उद्यमिता प्रोत्साहन:

एमएसई की परामर्शदाताओं तक पहुंच को सशक्त बनाने के लिए बैंक ने वाधवानी फाउंडेशन – (डब्ल्यूएफ) –राष्ट्रीय उद्यमिता नेटवर्क–एनईएन के साथ एमएसई के परामर्श हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल में भारत भर से मेंटरशिप के लिए 500 एमएसई ऑन–बोर्ड होंगे। एनईएन/ डब्ल्यूएफ प्लेटफॉर्म पर एमएसई की बोर्डिंग के बाद एक परिवर्तनकारी रोडमैप विकसित करने के लिए एमएसई का नैदानिक अध्ययन किया जाएगा। परामर्शदताओं का चयन/ एमएसई के साथ मिलान मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा और एमएसई को निःशुल्क मेंटरशिप सहयोग (लगभग 8–10 घंटे/ तिहाई निःशुल्क घंटे) दिया जाएगा। एमएसई के संदर्भ में मेंटरशिप का उद्देश्य आन्तरिक और ऑन–डिमांड एआई–सक्षम प्रशिक्षकों, सलाहकारों, ग्राहकों और पूँजी प्रदाताओं की 12 माह तक की गहन सहभागिता के साथ परामर्शी, कार्यनीतिक और निष्पादन सहायता सेवाएं प्रदान करके उच्च–विकास पथ की स्थापना करना है। साथ ही, एआई–सक्षम एडवांटेज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 3 वर्ष तक हैंड होल्डिंग सहयोग प्रदान करना है।

सहकार्य स्थान:

सिडबी ने इन्क्यूस्पेस सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी में 1, टॉल्स्टॉय मार्ग, कनॉट पलेस, नई दिल्ली में एक सहकार्य स्थल@वर्कस्पेज़ की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य एमएसएमई और स्टार्ट–अप की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। यह कार्यालय स्थल प्रशिक्षण एवं सम्मेलन कक्ष, तेज गति सहित इंटरनेट, स्वागत कक्ष, जलपान, मनोरंजन क्षेत्र, कार्यालय की अनुरक्षण संबंधी सुविधाओं आदि से पूरी तरह सुसज्जित है। यह पहल उद्यमियों को बुनियादी ढांचे को खोजने और स्थापित करने तथा रखरखाव की उच्च लागत वहन करने के तनाव से मुक्त करने का एक प्रयास है। यह सह–श्रमिकों के साथ नेटवर्क स्थापित करने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने, नए ग्राहकों से मिलने, बैठकों और सेमिनारों की व्यवस्था करने की सुविधा देता है। साथ ही, उनकी अन्य कामकाजी जरूरतों को भी पूरा करता है। इसी प्रकार के स्थान की व्यवस्था मुंबई में भी की जाएगी।

सिडबी-ईटी इंडिया एमएसई अवार्ड्स :

सिडबी द्वारा उन एमएसई के योगदान को सम्मानित करने हेतु, जिन्होंने स्वयं को अन्य एमएसई के लिए रोल मॉडल के रूप में स्थापित किया है, सिडबी–ईटी इंडिया एमएसई पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों के दो संस्करण वर्ष 2018 और 2019 में लॉन्च किए गए हैं। इस पुरस्कार का उद्देश्य एमएसई की दृश्यता को सशक्त करना और भावी नायकों को प्रदर्शित करना है, जो देश का समाजार्थिक परिवर्तन करने में योगदान कर रहे हैं।

हमें उम्मीद है कि यह संस्करण मौजूदा और नवोदित उद्यमियों के लाभ के लिए चलाई जा रही योजनाओं और पहलों के बारे में आपको कुछ जानकारी प्रदान करने में सक्षम हुआ है। सिडबी की योजनाओं की अधिक जानकारी के लिए आप www.sidbi.in पर जा सकते हैं। हम अपने आगामी संस्करणों में अधिक ज्ञान और जानकारी के साथ वापस आएंगे, इसलिए स्वावलंबन सूचना श्रृंखलाओं को पढ़ते रहें।

उपयोगी लिंक

1. सिडबी के संबंध में अधिक जानकारी **https://www.udyamimitra.in/** पर उपलब्ध है।
2. बैंक–ऋण पात्रता (बैंकेबिलिटी) किट की अधिक जानकारी – **https://udyamimitra.in/content/MSEbankabilitykit2.pdf**
3. अपनी जिज्ञासाओं/प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए **https://udyamimitra.in/FAQs** पर जाएँ।
4. भावी उद्यमी **https://udyamimitra.in/login/Register** पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
5. आप सरकार की ई–मार्केटप्लेस (GeM) वेबसाइट **https://gem.gov.in** पर क्रेता एवं विक्रेता दोनों के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमी स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत विनिर्माण, व्यवसाय अथवा सेवा इकाई की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। विस्तृत जानकारी **https://www.udyamimitra.in/** पर उपलब्ध है।
7. महिला उद्यमी **https://niti.gov.in/women-enterpreneurship-plateform.web** वेबसाइट देखें।
8. पथ–प्रदर्शक सहयोग (मेंटर सपोर्ट) के लिए कृपया हमें **pnd.ndo@sidbi.in** पर लिखें।

अस्वीकरण

यह श्रृंखला महत्वाकांक्षी स्वावलंबियों के लिए निकाली गई है। आवश्यक तौर पर ये विचार भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के नहीं हैं अथवा न ही यह इस विषय पर संपूर्ण जानकारी है।

यह दस्तावेज मिशन स्वावलंबन के अंतर्गत सिडबी के तत्त्वावधान में किया गया एक प्रयास है। ये मुख्य रूप से कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं और/अथवा स्रोतों से संकलित सामग्री पर आधारित हैं। हालांकि किसी भी त्रुटि या चूक से बचने के लिए हरसंभव प्रयास किया गया है, तथापि प्रकाशन में हुई किसी भी त्रुटि/ चूक के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रति सिडबी किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

सिडबी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

सिडबी टावर, 15 अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001, उत्तर प्रदेश

sidbiofficial @sidbiofficial sidbiofficial

www.sidbi.in